तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/6/25	~~पत्रावली पेश। दौसने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि~~ विवादित भूमिया प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व स्वामित्व की भूमियॉ है जिसमें प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के भाई की विधवा है व अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया की बहिन है। प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 के पति व अप्रार्थी संख्या 2 आपस में भाई–बहन होने से प्रार्थीया ने उसके हिस्से की भूमि को प्रार्थीया के भाई रमेश को काश्त पर दे रखा था व आय प्राप्त कर रही थी। प्रार्थीया के भाई रमेश की मृत्यु के बाद प्रार्थीया न अपने हिस्से की उपज की मांग की तो अप्रार्थी संख्या 1 ने पहले तो फसल नहीं होना व बाद में भूमि में प्रार्थीया का कोई हिस्सा नहीं होना कहते हुए सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को मौखिक विक्रय कर देने की बात कही प्रार्थीया का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा निहित होना व बिना बंटवारे के ही भूमि को बेचान करने पर अप्रार्थी 1 व 2 आमादा होने से उनको प्रार्थीया के हिस्से में दखलंदाजी नहीं करने भूमि पर कब्जा नहीं करने व दौरानें वाद भूमि को रहन, बैचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। हमने वकील प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 2 खसरा नम्बरान 5/292 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बोरखेडा पटवार मण्डल रामचन्द्र जी का खेडा जमाबंदी सम्वत 2074 से 2076 प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में स्थित है। अप्रार्थीगण के बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :– 1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 2 खसरा नम्बरान 5/292 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बोरखेडा पटवार मण्डल रामचन्द्र जी का खेडा जमाबंदी सम्वत 2074 से 2076 प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में स्थित होने से व बिना बंटवारे के सामलाती भूमि में प्रत्येक इंच पर बराबर हिस्सा व हक निहित होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनता है। 2. <u>सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 2 खसरा नम्बरान 5/292 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बोरखेडा पटवार मण्डल रामचन्द्र जी का खेडा जमाबंदी सम्वत 2074 से 2076 प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में स्थित होने से व बिना बंटवारे के सामलाती भूमि में प्रत्येक इंच पर बराबर हिस्सा व हक निहित होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के हक में बन रहा है।

3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि विवादित भूमि खाता संख्या 2 खसरा नम्बरान 5/292 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बोरखेडा पटवार मण्डल रामचन्द्र जी का खेडा जमाबंदी सम्वत 2074 से 2076 प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में स्थित होने से व बिना बंटवारे के सामलाती भूमि में प्रत्येक इंच पर बराबर हिस्सा व हक निहित होने से व उस पर से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को बेदखल करने रहन, बय करने से प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के हक में बनने एवं प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 2 खसरा नम्बरान 5/292 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बोरखेडा पटवार मण्डल रामचन्द्र जी का खेडा जमाबंदी सम्वत 2074 से 2076 में निहित प्रार्थीया के 1/3 हिस्से की भूमि पर से उसे बेदखल नही करे, कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे, रहन बेचान नहीं करें व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली